

22⁹/₂ पगावनी पेश हुई। वहील पानी उपर। इस
शाब्द से संबंधित मूल वाद में निर्णय सुना
जा चुका है। अब इस शाब्द में कोई कार्यवाही
किया जाना अपेक्षित नहीं रहा है। अतः शाब्द
परिष्कार किया जाता है। पगावनी के लिये शुभार
दोष नकार के वक्त होकर मूल वाद के लिये
है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)